कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax &☎ 05964- 225234

पत्रॉक 3237/12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 24-दिसम्बर, 2022।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा गंगोलीहाट में पाताल भुवनेश्वर, दौला, नानी शीतला, भूल की अध्याली, चामाचौड़ चौखुना तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.905 है0 वनभूमि का गैर वानकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रपोजल नं0 FP/UK/ROAD/148101/2021).

सन्दर्भः नोडल अधिकारी देहरादून का पत्रॉक 42/FP/UK/ROAD/148101/2021 दि0 05–07–2022 (प्रति संलग्न)।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में प्राप्त आपत्तियों का प्रस्तावक विभाग द्वारा बिन्दुवार निराकरण कर निम्नवत प्रेषित हैः–

क्र. सं0	मॉगी गई सूचना	उत्तर
1	प्रस्ताव वाइण्डिंग कर प्रेषित करने का कष्ट करें।	प्रस्ताव वाइण्डिंग कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव में क्रमवार पृष्ठ संख्या अंकित करते हुये विषय सूची संलग्न करने का कष्ट करें	प्रस्ताव में क्रमवार पृष्ठ संख्या अंकित कर विषय सूची संलग्न कर दी गई है।
3	प्रस्ताव में ऑन लाईन पार्ट–1 के Para-A (X) में वनभूमि कितने वर्ष हेतु प्रर्त्यावर्तित की जा रही है। इसकी सूचना अपलोड नहीं की गई है कृपया सही सूचना अपलोड करने का कष्ट करें	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के ऑन लाईन पार्ट–1 के Para-A (X) में वनभूमि 100 वर्षो हेतु प्रर्त्यावर्तित की जा रही है। सही सूचना अपलोड कर दी गई है।
4	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपड़ स्थल की DSS Analysis की रिपोट अपलोड़ नहीं की गई है। उपरोक्त हेतु इस कार्यालय के पत्रॉक 2044/1–42 (।।।) दि0 22–02–2022 एवं शासन के पत्रॉक 290/X -3-22/5 (03) 2019 के द्वारा पूर्व में लिखा गया है। अतः DSS Analysis की रिपोर्ट अपने संस्तुति सहित प्रस्ताव में अपलोड करने का कष्ट करें।	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपड़ स्थल की DSS Analysis की रिपोट अपनी संस्तुति सहित अपलोड़ करने की कृपा करें।
5	प्रस्ताव में ऑन लाईन भरे गये पैरा E में परियोजना निर्माण से 12 पद सृजित होना अंकित किया गया है। कृपया स्पष्ट करें कि क्या परियोजना निर्माण से वास्तविक रूप से 12 पदों का सृजन हो रहा है अथवा नहीं उक्त सम्बन्ध में स्पष्ट सूचना प्रेषित करने का कष्ट करें।	प्रस्ताव के ऑन लाईन पैरा E में परियोजना निर्माण से 12 पदों को वास्तविक रूप से सृजन हो रहा है। प्रस्तावक विभाग द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्ताव के अतिरिक्त सूचना में अपलोड कर दिया गया है।
6	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम सामान्य नाम एवं इंगलिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	प्रस्ताव में वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम सामान्य नाम एवं इंगलिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न कर दी गई है व यथास्थान अपलोड कर दी गई है।

क्र. सं0	भारत सरकार द्वारा माँगी गई सूचना	उत्तर
7	प्रस्ताव में संलग्नक के0एम0एल0 फाईल में मलवा निस्तारण स्थल नहीं दर्शाये गये है। मलवा निस्तारण स्थलों को के0एम0एल0 फाईल में दर्शाते हुये अपलोड करने का कष्ट करें।	प्रस्ताव में संलग्नक के0एम0एल0 फाईल में मलवा निस्तारण स्थल दर्शाये गये है व के0एम0एल0 फाईल अपलोड कर दी गई है।
8	वैकल्पिक एवं वर्तमान समरेखण में प्रभावित वृक्षों का प्रजातिवार गणना कर पृथक–पृथक सूची संलग्न करने का कष्ट करें।	वैकल्पिक एवं वर्तमान समरेखण में प्रभावित वृक्षों का प्रजातिवार गणना कर पृथक–पृथक सूची प्रस्ताव में संलग्न कर दी गई है। सूची यथास्थान अपलोड कर दी गई है।
9	प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले पेड़ों की गणना 7 मी0 एवं 9 मी0 Row में अलग अलग करते हुये कुल प्रजातिवार पेड़ों की व्यासवार सूची ऑन लाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले पेड़ों की गणना 7 मी0 एवं 9 मी0 Row में अलग अलग करते हुये कुल पेड़ों की व्यासवार सूची ऑन लाईन अपलोड कर सूची प्रस्ताव में संलग्न कर दी गई है।
10	भारत सरकार पत्र सं0 5-3/2011-FC (Vol-1) दिनाक 06–01–2022 द्वारा एन0पी0वी0 की दरों का पुर्ननिर्धारण किया गया है। एवं पत्र सं0 5-3/2011-FC (Vol-1) दिनाक 19–01–2022 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार ऐसे प्रस्तावों को चिन्हित किया गया है। जिनमें एन0पी0वी0 की नई दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि जमा कराई जानी है। अपने स्तर से प्रयोक्ता अभिकरण को निर्देशित करने का कष्ट करें। प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	एन0पी0वी0 की दरों के अनुसार धनराशि का ऑकलन कर प्रपत्र संलग्न कर दिया गया है। स्थलीय निरीक्षण आख्या प्रस्ताव में संलग्न है।
11	उपरोक्त के अतिकरक्त इस आशय का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है कि प्रस्ताव में स्वीकृत समरेखन में ही वृक्षों का पातन एवं स्वीकृत समरेखन में ही मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है।	मोटर मार्ग में वनभूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। प्रस्ताव में स्वीकृत समरेखन में ही वृक्षों का पातन एवं स्वीकृत समरेखन में ही मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किया जायेगा।
12	यदि प्रभागीय वनाधिकारी का प्रस्ताव विभाग को Working permission दे दी गई है तो उसकी प्रति भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	विषयक प्रस्ताव में Working permission नही दी गई है।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।